न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –180/2019

अनवान : –

1. वेदपाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

ब ना म

1. भुपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. स्तवीर पुत्र भुपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. ओबीसी बैंक नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही है कि रोही मोजा चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 24/22(3) के मु0 न 0 38 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 42 के किला न0 2, 12, 13, 14, 15, 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता, खाला तथा चक न0 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 35/20(3) के मु न0 36 किला न0 7, 14 8/2 कुल 0.632 है0 बारानी खातदेारी भूमि प्रतिवादी भुपसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज में से वादी वेदपाल 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं01 भूपसिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सतवीर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

जवाब दावा पेश किया । प्रतिवादी सं 4 को वकिल वादी ने तर्क अंकित किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी वेदपाल पुत्र भुपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने वारीस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 1 है जमाबंदी चक 7 एनटीआर संवत 2074–77 प्रदर्श 2 है। जिसमें कम सं 3 पर ए से बी प्रति सं 1 भुपसिंह नाम खाता विभाजन का अतंकाल है।जमाबंदी चक 4 बीआरडब्ल्यु सवंत 2072–75 प्रदर्श 3 है। जमाबंदी चक 7 एनटीआर संवत 2029–38 प्रदर्श 4, वादी द्वारा पेश दादालाई जमाबंदी 4 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 24/22(3) के मु0 न 0 38 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 42 के किला न0 2, 12, 13, 14, 15, 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता खालाल ी तथा चक न0 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 35/20(3) के मु न0 36, किला न0 7, 14 8/2 कुल 0.632 है0 खातदेरी भूमि प्रतिवादी भुपसिंह के नाम के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिकी किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही रोही मोजा चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 24/22(3) के मु0 न 0 38 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 42 के किला न0 2, 12, 13, 14, 15, 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता खाला तथा चक न0 4 बीआरडब्ल्यु के खाता सं 35/20(3) के मु न0 36 किला न0 7, 14 8/2 कुल 0.632 है0 बारानी खातदेरी भूमि प्रतिवादी भुपसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज में से वादी वेदपाल 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं01 भूपसिंह 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सतवीर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (जिला हनुमानगढ़) (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —180/2019

अनवान : —

1. वेदपाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. भुपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र भुपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. ओबीसी बैंक नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण **वादी**
श्री सुरजित बिजारणीया वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 25/02/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 24/22(3) के मु0 न 0 38 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 42 के किला न0 2, 12, 13, 14, 15, 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता खालाल ी तथा चक न0 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 35/20(3) के मु न0 36 किला न0 7, 14 8/2 कुल 0.632 है0 खातदेारी भूमि प्रतिवादी भुपसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षंरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा रामजस की खातेदारी हुआ करती थी। रामजस के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भूपसिंह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी भूपसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भूपसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की ओर से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:29:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: